UPUN010038732026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट, कोर्ट सं0–4 उन्नाव।
पीठासीन अधिकारी– श्री रामराज II, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06491

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1649 / 2026

सुशील रैदास बनाम उ0प्र0 सरकार,

अपराध सं0–561 / 20,
धारा–138(1)बी. भारतीय विद्युत अधिनियम,
थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–उन्नाव।

दिनांक–17.08.2026

1– प्रार्थी / अभियुक्त सुशील रैदास की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अपराध सं0–561 / 20 धारा–138(1)बी. भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जनपद–उन्नाव के मामले में जमानत पर रिहा करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन के अनुसार, दिनांक 21.02.2020 को समय करीब 16.20 बजे एहतराम हुसैन जैदी, प्रभारी निरीक्षक मय हमराह उपनिरीक्षक श्री रमेश कुमार दीक्षित, अवर अभियन्ता श्री प्रदीप कुमार मौर्य, हे0 कान्स0 राजेन्द्र सिंह, हे0 कान्स0 भोलाराम, कान्स0 विनोद कुमार सिंह, प्रवर्तन दल रायबरेली मय अनुबन्धित वाहन चालक, विद्युत चोरी रोकथाम चेकिंग, राजस्व वृद्धि एवं मध्यांचल से प्राप्त सूची पत्राक संख्या–01 / अधी0अभि0 / इंचार्ज एव.वी.सी.सेल / पा.का.लि. / 2020 दिनांक 03.01.2020 के आदेश के क्रम में चेकिंग हेतु थाना क्षेत्र बांगरमऊ जनपद उन्नाव में मामूर थे कि उपभोक्ता का पूर्व में संयोजन बिल बकाये पर विच्छेदित किया गया था जो बिना भुगतान किये अवैध रूप से कनेक्शन जोड़कर विद्युत चोरी कर रहा था।

3– प्रार्थी / अभियुक्त के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया कि, प्रार्थी के पिता सल्लू उर्फ सलगू के नाम विद्युत कनेक्शन सं0–761614250120 का संयोजन गरीबी रेखा के नीचे लोगो के बिना मीटर का कनेक्शन था। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त कनेक्शन का प्रार्थी वैध उपभोक्ता है। प्रार्थी के पिता सल्लू उर्फ सलगू की मृत्यु लगभग 15 वर्ष पूर्व हो चुकी है। तब से उक्त कनेक्शन का प्रार्थी नियमित रूप से बिल अदा कर रहा है तथा उपभोग कर रहा है। प्रार्थी के पास विद्युत कनेक्शन सं0–761614222365 का फर्जी बिल प्रार्थी के पिता के नाम प्राप्त हुआ। जिसकी शिकायत प्रार्थी ने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से की और बताया कि प्रार्थी के पिता के नाम केवल एक ही कनेक्शन है। इस पर विभाग द्वारा कहा गया कि प्रार्थी अपने कनेक्शन को ही नियमित चलाता रहे, दूसरा अपने आप समाप्त हो जाएगा। प्रार्थी को बिना किसी जानकारी के मुकदमा उपरोक्त में गलत तरीके से प्रार्थी के पिता के नाम संयोजन दिखाकर चालान कर दिया गया है। प्रार्थी को जब मुकदमा उपरोक्त में समन प्राप्त हुआ

तो दि0–28.07.2023 को उपरोक्त तथ्य को दर्शाते हुए श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें विद्युत विभाग से आख्या मॉगी गई। लेकिन विद्युत विभाग ने प्रार्थी के दोहरे कनेक्शन के सम्बन्ध में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की। प्रार्थी अपने पिता के नाम के विद्युत कनेक्शन का वैध उपभोक्ता है तथा उससे सम्बन्धित प्रार्थी सभी भुगतान भी अदा कर रहा है। जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी पर उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त में आरोप मुक्त किए जाने का अधिकारी है। प्रार्थी का यह प्रथम प्रार्थना पत्र जमानत है तथा कोई प्रार्थना पत्र जमानत मा0 उच्च न्यायालय में नहीं दिया गया है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश करने की कृपा करे।

4– विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

5– विशेष लोक अभियोजक व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6– पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी अपने पिता के नाम के विद्युत कनेक्शन का वैध उपभोक्ता है तथा उससे सम्बन्धित प्रार्थी सभी भुगतान भी अदा कर रहा है। जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7– अतः ऐसी स्थिति में उभयपक्षों के तर्कों, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सुशील रैदास का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1649/2026, मु0अ0सं0–561/20, धारा–138(1)बी. भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जनपद–उन्नाव स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त को मु0–20,000 रूपये का निजी बंधपत्र तथा समान राशि की दो प्रतिभू एवं अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक–17.08.2026

(रामराज–II)
विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट
कोर्ट सं0 4, उन्नाव।